

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2056 / 2024

डॉ. प्रदीप चारण

—अपीलार्थी

### बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :- 26.06.2024

समक्ष :- अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

### आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सह आचार्य (Anaesthesia) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, अजमेर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के पास 4 पीजी के विद्यार्थी अध्ययनरत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण से अपीलार्थी के पास अध्ययनरत पीजी के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिता की आयु 73 वर्ष है, जिनकी चार बार सर्जरी हुई है। अपीलार्थी के पिता के घुटना प्रत्यारोपण एवं ट्यूमर की सर्जरी हुई है। इस कारण अपीलार्थी को अपने पिता की लगातार देखभाल करनी पडती है। ऐसे में अपीलार्थी स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. हम यह नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत पीजी विद्यार्थियों के अधीन अध्यापन में कोई विपरीत असर पड़ेगा। जहां तक अपीलार्थी के पिता के बीमार होने का प्रश्न है तो हमारे मत में अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी के पिता बीमार है, उनके स्थानान्तरण आदेश को अनुचित होना नहीं माना जा सकता। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह किस कार्मिक की सेवाएँ किस स्थान पर प्राप्त करें। उक्त निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वह निर्णय दुर्भावनापूर्वक एवं विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)